



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(22)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2010/संस्था/2012/2198 जयपुर दिनांक:- 11/9/17

—:आदेश:—

श्री रामकुमार वर्मा, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2013 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक प.9(190)कार्मिक/क-4/2/2017 दिनांक 3.8.17 द्वारा क्रम संख्या 15 के अनुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवा में किया जाने पर श्री वर्मा द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिये कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः श्री वर्मा का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में होने से राजस्थान सेवा नियमों के नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से दिनांक 11.9.17 को कार्यमुक्त किया जाता है।

(गिरीश पाराशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक प. 9(190)कार्मिक/क-4/2/2017 दिनांक 7.8.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
8. महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त बीकानेर।
10. जिला कलेक्टर हनुमानगढ।
11. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
15. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)